संख्या-35/2019/54/71-3-2019-जी-157/2017टीसी-5

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,

प्रमुख सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 09 मार्च, 2019**

विषय:- केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय-अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर में वित्त नियंत्रक के पद का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-1/2019/116, दिनांक 11-01-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय- अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर में वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक का 01-01 पद (वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड पे-6600) कुल 05 पदों, को अस्थायी रूप से दिनांक 29-02-2020 तक के लिए बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाए, को निम्नांकित शर्तों के अधीन सृजित किए जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. **उक्त पदों पर भर्ती एम0सी0आई0 मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप की जाए।**
2. **उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग से की जायेगी।**

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा शिक्षा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखा पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)-0381-मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद, 0382-मेडिकल कालेज बस्ती, 0383- मेडिकल कालेज अयोध्या, 0384- मेडिकल कालेज बहराइच, 0385- मेडिकल कालेज शाहजहॉपुर" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-401/दस-2019, दिनॉक 08 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः-35/2019/54(1)/71-3-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
2. **महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
3. **प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।**
4. **प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।**
5. **वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।**
6. **प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय-अयोध्या/बस्ती/बहराइच/ फिरोजाबाद/ शाहजहॉपुर।**
7. **जिलाधिकारी, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहॉपुर।**
8. **वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
9. **नियोजन-अनुभाग-4**
10. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-3**
11. **वित्त (सेवाएं) अनुभाग-2**
12. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**